

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक—

संचिका संख्या :—17/ए 1-05/2009 ..... /स्वा०, विभागीय अधिसूचना

संख्या—658(17) दिनांक—17.09.2018 द्वारा डा० अरविंद कुमार सिंह, कार्यकारी सह—प्राध्यापक, एफ०एम०टी० विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को निगरानी विभाग में दायर वाद संख्या—49/09 दिनांक—08.05.09 लंबित होने के कारण नियमित सह—प्राध्यापक एवं डा० नंद किशोर सिंह, सह—प्राध्यापक, हड्डी रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सम्प्रति निलंबित रहने के कारण नियमित प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति को रद्द किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(डा० कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

सं० सं०—17/ए 1-05/2009 - ८०८ (17) पटना, दिनांक :— 28/11/18

प्रतिलिपि :—महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—डा० अरविंद कुमार सिंह, कार्यकारी सह—प्राध्यापक, एफ०एम०टी० विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० नंद किशोर सिंह, सह—प्राध्यापक, हड्डी रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव।